

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 16, गुरुवार, शके 1947- अगस्त 07, 2025 <i>Sravana 16, Thursday, Saka 1947- August 07, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 21, 2025

संख्या जविप्रा/उपा. जोन-8/2025/डी-967 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना केसर नगर के भूखण्ड संख्या 146 क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में 24 मीटर सड़क पर 12 मीटर गहराई तक सेक्टर व्यावसायिक तत्पश्चात आवासीय दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने बाबत समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2025 एवं 10.05.2025 द्वारा आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना केसर नगर के भूखण्ड संख्या 146 क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में 24 मीटर सड़क पर 12 मीटर गहराई तक सेक्टर व्यावसायिक तत्पश्चात आवासीय दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाता है। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 21.07.2025 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।